



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032022-234582
CG-DL-E-28032022-234582

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]
No. 223]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/चैत्र 7, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/CHAITRA 7, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

सा.का.नि. 226(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (थ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2022 है।
(2) ये नियम 1 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होंगे।
- विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के, उप-नियम (2) में '1 अप्रैल, 2022' अंक, अक्षर और शब्द के स्थान पर '1 अक्टूबर, 2022' अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;
- उक्त नियमों में, नियम 6 के, उप-नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(11) पैकेज में रखी प्रत्येक वस्तु पर निम्नानुसार इकाई विक्री मूल्य को रुपये के निकटतम दशमलव के पश्चात् दो स्थान तक पूर्णांकित करके घोषित किया जाएगा, अर्थात्-
(i) जहां शुद्ध परिमाण एक किलोग्राम से कम है, वहां प्रति ग्राम और जहां शुद्ध परिमाण एक किलोग्राम से अधिक है, वहां प्रति किलोग्राम;

- (ii) जहां शुद्ध परिमाण एक मीटर से कम है, वहां प्रति सेंटीमीटर और जहां शुद्ध परिमाण एक मीटर से अधिक है, वहां प्रति मीटर;
- (iii) जहां शुद्ध परिमाण एक लीटर से कम है, वहां प्रति मिलीलीटर और जहां शुद्ध परिमाण एक लीटर से अधिक है, वहां प्रति लीटर;
- (iv) यदि कोई वस्तु संख्या या इकाई के रूप में बेची जाती है, तो प्रति संख्या या इकाई:

परंतु यह कि अल्कोहलयुक्त वीवरेज या स्पिरिटयुक्त शराब के पैकेजों के लिए, उन राज्यों में, जहां उनका विनिर्माण किया गया है, राज्य आबकारी विधियां और उसके अधीन बनाए गए नियम उन राज्यों में लागू होंगे।

परंतु यह कि पहले ही पैकेज में रखी वस्तु, जिनमें खुदरा बिक्री मूल्य, इकाई बिक्री मूल्य के बराबर है, के इकाई बिक्री मूल्य की घोषणा आवश्यक नहीं है।

4. उक्त नियम में, नियम 33 में, उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियम में द्वितीय अनुसूची का लोप किया जाएगा।

6. सा.का.नि. 779(अ) तारीख 2 नवंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2021 द्वारा यथासंशोधित विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2022 से घोषणा करने के लिए पूर्व-पैकबंद वस्तुओं के विनिर्माता या पैककर्ता या आयातक के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम.-10/22/2021]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202 (अ) तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 779(अ) तारीख 2 नवंबर, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2022

G.S.R. 226(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), read with clauses (j) and (q) of sub-section (2), of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of October, 2022.
 2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, in sub-rule (2), for the figures, letters and words “1st day of April, 2022”, the figures, letters and words “1st Day of October, 2022” shall be substituted.
 3. In the said rules, in rule 6, for sub-rule (11), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(11) The unit sale price in rupees, rounded off to the nearest two decimal place, shall be declared on every pre-packaged commodities in the following manner, namely:-
- (i) per gram where net quantity is less than one kilogram and per kilogram where net quantity is more than one kilogram;
 - (ii) per centimeter where net length is less than one metre and per metre where net length is more than one metre;

- (iii) per mililitre where net volume is less than one litre and per litre where net volume is more than one litre;
- (iv) per number or unit if any item is sold by number or unit:

Provided that for packages containing alcoholic beverages or spirituous liquor, the State Excise Laws and the rules made thereunder shall be applicable within the State in which it is manufactured.

Provided further that declaration of unit sale price is not required for the pre-packaged commodities in which retail sale price is equal to the unit sale price.”

4. In the said rules, in rule 33, sub-rule (2) shall be omitted.

5. In the said rules, THE SECOND SCHEDULE shall be omitted.

6. No prosecution shall be initiated against the manufacturer or packer or importer of pre packaged commodities for making declaration with effect from the 1st April, 2022 in accordance with Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, as amended by the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2021 published *vide* number G.S.R. 779 (E), dated the 2nd November , 2021.

[F. No. WM-10/22/2021]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. number 202 (E). dated the 7th March, 2011 and last amended *vide* notification number G.S.R. 779 (E). dated the 2nd November, 2021.